



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082020-220973
CG-DL-E-08082020-220973

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2301]
No. 2301]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 5, 2020/श्रावण 14, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 5, 2020/SRAVANA 14, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2020

का.आ. 2599(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3(क) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि गुजरात राज्य के मोरबी जिले में नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 151 A[भारतमाला]के कि.मी 0.000 से कि.मी. 242.900 तक के भूखंड का निमार्ण (चौड़ा करने/चार लेन के बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूचि में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3(सी) की उपधारा (1) के आधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 21 दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् प्रांत अधिकारी मोरबी, जिला मोरबी को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप में या किसी

विधि व्यसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात् यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3(सी) की उपधारा(2) के आधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया कोई आदेश अंतिम होगा।

उस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम अधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध है और उनका हितबध्द व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 151 A (भारतमाला) कि.मी. 0+000 से कि.मी. 242+900 तक

(द्वारका-खम्भालिया-देवरिया) और (धोल-आमरन-मालिया) सेक्शन के लिए अर्जन की जाने वाली

संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: गुजरात		जिले का नाम: मोरबी			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: मोरबी					
गांव का नाम: मोड़पर					
1	89	निजी	खेती	0.1452000(हेक्टेयर)	0.1452000
2	90	निजी	खेती	0.1163000(हेक्टेयर)	0.1163000
3	91	निजी	खेती	0.0907000(हेक्टेयर)	0.0907000
गांव का नाम: पिपलिया					
1	129	निजी	खेती	0.1719000(हेक्टेयर)	0.1719000
2	130	निजी	बीन खेती	0.1550000(हेक्टेयर)	0.1550000
3	131	निजी	खेती	0.2520000(हेक्टेयर)	0.2520000
4	132	निजी	खेती	0.2274000(हेक्टेयर)	0.2274000
5	133	निजी	बीन खेती	0.0510000(हेक्टेयर)	0.0510000
6	134	निजी	खेती	0.1240000(हेक्टेयर)	0.1240000
7	140	निजी	खेती	0.2503000(हेक्टेयर)	0.2503000
8	143	निजी	खेती	0.1362000(हेक्टेयर)	0.1362000

9	146	निजी	खेती	0.0811000(हेक्टेयर)	0.0811000
10	147	निजी	बीन खेती	0.1985000(हेक्टेयर)	0.1985000
11	148	निजी	बीन खेती	0.2587000(हेक्टेयर)	0.2587000
12	150	निजी	खेती	0.1644000(हेक्टेयर)	0.1644000
13	151	निजी	बीन खेती	0.0761000(हेक्टेयर)	0.0761000
14	153	निजी	खेती	0.0181000(हेक्टेयर)	0.0181000
15	154	निजी	खेती	0.2936000(हेक्टेयर)	0.2936000
16	172	निजी	बीन खेती	0.2680000(हेक्टेयर)	0.2680000
कुल				3.0785	3.0785

[फा. सं. NHAI/11011/Gujarat/Devbhumi Dwarka/3A]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th August, 2020

S.O. 2599(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule below is required for building (widening/four laning etc), maintenance, management and operation of new proposed National Highway No. 151 A (Bharatmala) on the stretch of land from km 0.000 to Km. 242.900 in district Morbi in the state of Gujarat, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, The Prant Officer Morbi, District Morbi in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from km. 0+000 to km. 242+900 (Dwarka-Khambhliya-Devariya & Dhrol-Amran-Maliya Road Section) of the National Highway No.151A [Bharatmala] in the State of Gujarat

State: GUJARAT		District: MORBI			
S.No	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Morvi					
Village: Modpar					
1	89	Private	Agricultural	0.1452000(Hectare)	0.1452000
2	90	Private	Agricultural	0.1163000(Hectare)	0.1163000
3	91	Private	Agricultural	0.0907000(Hectare)	0.0907000
Village: Pipaliya					
1	129	Private	Agriculture	0.1719000(Hectare)	0.1719000
2	130	Private	Non Agriculture	0.1550000(Hectare)	0.1550000
3	131	Private	Agriculture	0.2520000(Hectare)	0.2520000
4	132	Private	Agriculture	0.2274000(Hectare)	0.2274000
5	133	Private	Non Agriculture	0.0510000(Hectare)	0.0510000
6	134	Private	Agriculture	0.1240000(Hectare)	0.1240000
7	140	Private	Agriculture	0.2503000(Hectare)	0.2503000
8	143	Private	Agriculture	0.1362000(Hectare)	0.1362000
9	146	Private	Agriculture	0.0811000(Hectare)	0.0811000
10	147	Private	Non Agriculture	0.1985000(Hectare)	0.1985000
11	148	Private	Non Agriculture	0.2587000(Hectare)	0.2587000
12	150	Private	Agriculture	0.1644000(Hectare)	0.1644000
13	151	Private	Non Agriculture	0.0761000(Hectare)	0.0761000
14	153	Private	Agriculture	0.0181000(Hectare)	0.0181000
15	154	Private	Agriculture	0.2936000(Hectare)	0.2936000
16	172	Private	Non Agriculture	0.2680000(Hectare)	0.2680000
Total				3.0785	3.0785

[F. No. NHAI/11011/Gujarat/Devbhumi Dwarka/3A]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.